**Scholarly Research Journal for Humanity Science & English Language,**
***Online ISSN 2348-3083, SJ IMPACT FACTOR 2019: 6.251, www.srjis.com***
*PEER REVIEWED & REFEREED JOURNAL, OCT-NOV, 2020, VOL- 8/42*

# भारतीय संदर्भ में नारी शिक्षा

**अमित रत्न द्विवेदी[1] & गोपाल कृष्ण ठाकुर[2] , Ph. D.**

*[1](शोधार्थी), शिक्षा विद्यापीठ, महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय (केंद्रीय विश्वविद्यालय), वर्धा, महाराष्ट्र Email: amitrdwivediau@gmail-com*

*[2](शोध निर्देशक), शिक्षा विद्यापीठ, महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय (केंद्रीय विश्वविद्यालय), वर्धा, महाराष्ट्र*

***Abstract***

*शिक्षा प्रक्रिया के लिए यह आवश्यक है कि वह अपने में समग्रता को समाहित करे सिर्फ किसी वर्ग विशेष तक ही शिक्षा की पहुँच ना होकर समाज के प्रत्येक वर्ग तक किस सीमा तक इसकी पहुँच है और क्या होना चाहिए इस विषय पर इस शोध पत्र में विचार प्रस्तुत किया गया है। दोहरी नीति की शिकार रहीं आदिवासी समाज की स्त्रियों की शिक्षा व्यवस्था किस प्रकार की है ? प्रस्तुत शोध पत्र के माध्यम से यह विश्लेषित करने की कोशिश की जाएगी कि आदिवासी समाज के स्त्रियों की शिक्षा की क्या स्थिति है, क्या–क्या समस्याएं हैं और भारत सरकार द्वारा कौन–कौन सी योजनायें चलायी जा रही जिसके माध्यम से स्त्री शिक्षा में उन्नति किया सके।*

*Scholarly Research Journal's is licensed Based on a work at www.srjis.com*

भारतीय परम्परा में स्त्रियों को सदैव ही सम्मानजनक स्थान दिया जाता है। उन्हें देवी, माँ या सहचरी कहकर पुकारा जाता है। स्त्री शिक्षा प्राचीन भारतीय शिक्षा की सबसे बड़ी विशेषता रही है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में स्त्रियों को पुरुषों के सदृश ही अधिकार प्राप्त थे। ऋग्वेद की अनेक ऋचाओं की रचना स्त्रियों ने की है। अनेक दार्शनिक और विदुषी महिलाएं हुई जिन्हें ब्रह्मवादिनी कहा जाता था। इन्होने शिक्षा के लिए ही अपना सम्पूर्ण जीवन समर्पित कर दिया। महर्षि याज्ञवल्क्य और गार्गी के बीच हुए संवाद से वृहदारण्यक उपनिषद का निर्माण हुआ वहीँ 'वैज्ञानिक अध्यात्म की उद्गाता– ऋषि विश्ववारा है, लोपामुद्रा wikipedia.orglopamudra)] विश्ववारा Wikipedia.org>vishvavara), सिक्ता निवावारी और घोषा Wikipedia.org>ghosa) आदि कुछ ऋषिकाएँ हैं, जिन्होंने ऋग्वेद के सूक्तों की रचना की है। लोपामुद्रा– प्रथम मण्डल का 179वां सूक्त, विश्ववारा आत्रेयी– पंचम मण्डल का 28वां सूक्त,अपाला आत्रेयी– अष्टम मण्डल का 91वां सूक्त, घोषा काक्षीवती– दशम मण्डल का 39वां तथा 40 वां सूक्त, शची पौलोमी– दशम मण्डल का 149वां सूक्त (आत्मस्तुति), सूर्या सावित्री– दशम मण्डल का 85वां सूक्त है। वेदाध्ययन के अतिरिक्त इस समय स्त्रियों को राजनीती, युद्धविद्या, संगीत, नृत्य, ललित कलाओं की शिक्षा दी जाती थी।

*Copyright © 2020, Scholarly Research Journal for Humanity Science & English Language*

स्त्री शिक्षा अपने चरम रूप में 200 ई० पू० तक बनी रही जिसकी वजह से नारी चेतना अपने उत्कर्ष पर थी इसके उपरांत जैसे–जैसे समाज में स्त्रियों का महत्व कम होता गया, स्त्रियों की शिक्षा का पतन होता गया वैसे–वैसे नारी चेतना की स्थिति दयनीय होती गयी। (उपाध्याय, 2009)

प्रारंभ में जब मानव का उद्‌भव हुआ था, स्त्री–पुरुष के कार्यों में कोई भेद नहीं था। जैसे–जैसे मानव विकास की ओर बढ़ता चला गया उसके कार्यों में विभाजन भी होता चला गया, इन कार्यों में विशेषीकरण आया तथा स्त्री–पुरुष में श्रम विभाजन हुआ।

मुगलकाल में धीरे–धीरे स्त्रियों के ऊपर प्रतिबन्ध कड़े होते गये स्त्रियों के स्वतंत्रता में कमी और शिक्षा की संकुचितता के कारण स्त्री शिक्षा उपेक्षा का शिकार होती गयी। बौद्ध काल में यह कमी बढती गयी, धीरे–धीरे कुछ सामाजिक परिवर्तन के फलस्वरूप स्त्रियों को बौद्ध मठों में प्रवेश दिया जाने लगा जिससे उनमे सामाजिक–सांस्कृतिक चेतना का विकास हो सके और वे अपना महत्वपूर्ण योगदान समाज को दे सके। (अग्रवाल जे सी, 2009)

मुस्लिम काल में सामान्य स्त्रियां शिक्षा से उपेक्षित रही, इस काल में बाल विवाह तथा पर्दा प्रथा का प्रचलन होने के कारण छोटी–छोटी बालिकाओं के अतिरिक्त अन्य स्त्रियां शिक्षा से वंचित रहीं जिसका निश्चित तौर पर उनके व्यक्तित्व पर प्रभाव पड़ा और उन्होंने खुद का क्षेत्र सीमित कर लिया क्योंकि स्त्रियों के मन में असुरक्षा की भावना पनपने लगी, क्योंकि समाज उन पर नाना प्रकार के प्रतिबन्ध लगाने में खुद को प्रतिष्ठित समझ रहा था और उन पर अनेकोनेक अत्याचार किये जा रहे थे ऐसे में असुरक्षा की भावना का जन्म होना स्वाभाविक सी बात है। भारद्वाज,एन .(2008)

ब्रिटिश काल में नारियों की चेतना का विकास प्रारंभिक वर्षों में दयनीय ही रहा क्योंकि उस पर ब्रिटिश शासन द्वारा कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया शायद उन्हें भी स्त्रियों से किसी प्रकार के लाभ की आशा न रही होगी क्योंकि अंग्रेजी शासन में ज्यादातर कार्य पुरुषों द्वारा ही किये जाते थे। (अग्रवाल जे सी 2009).

सन 1947 में स्वाधीनता प्राप्ति के उपरांत महिलाओं की सामाजिक तथा शैक्षिक स्थिति में अनेक क्रान्तिकारी परिवर्तन हुए। अज्ञानता, परतंत्रता, रूढ़िवादिता, तथा असहायता के बन्धनों से मुक्त होकर भारतीय स्त्रियां आज एक सम्मानजनक जीवन जी रहीं है फिर भी इसका विस्तार सभी भौगोलिक क्षेत्र में अभी नहीं हो पाया है क्योंकि  स्त्रियों की शिक्षा का विस्तार अभी भी इतना नहीं हो पाया है कि वो हर वर्ग और क्षेत्र से उठकर आये और समाज में अपने उत्तरदायित्व(जिसे वो पहले ही निभा रहीं हैं) को स्पष्ट रूप से व्यक्त कर सकें। हमारे समाज में मानवीय प्रौढ़ता विशेषकर स्त्रियों के प्रति प्रत्युत सदस्यता, सहिष्णुता व समानता की अथवा अभी भी मध्यकालीन असभ्यता और बर्बरता से स्वस्थ नहीं हो पाई है । हमने स्वार्थी बनकर यह कैसी सभ्यता और कैसी सामाजिकता को स्वीकार कर लिया है जिसमे मानवीय मूल्यों को ध्वस्त कर दिया है, आडम्बर तो बहुत है पर उन मूल्यों को आचरण में लाने का विचार सभी के

*Copyright © 2020, Scholarly Research Journal for Humanity Science & English Language*

मन मस्तिष्क से गायब है। आचरण में मूल्य का होना महज कोरी कल्पना बन के रह गया है। गुप्ता,एस. पी.(2015)

धर्म और संस्कृति की गलत व्याख्याएं स्त्रियों के स्तर तथा भूमिका को और भी निम्न बना देती हैं इसका परिणाम यह होता है कि बहुत सी महिलाओं का स्वयं के विषय में गलत विचार बनने लगता है और वे खुद को शिक्षा से दूर कर लेती हैं, जिसका दूरगामी परिणाम यह होता है कि नारी चेतना जो अभी अपने शैशवावस्था में ही हाती है उसका गला घोट दिया जाता है, किन्तु नारी के विरुद्ध हो रहे इस अत्याचार और अमानवीय व्यवहार के खिलाफ जो पहली आवाज उठी वह भी किसी पुरुष की ही थी। पुरुषों का ऐसा वर्ग भी है जो नारी के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखता है और नारी के निरंतर विकास के लिए प्रयत्नशील भी है। (मिश्र, एस. 2012)

वर्तमान समय में प्राथमिक तथा उच्चतर माध्यमिक में लड़कियों की स्थिति में मात्रात्मक रूप से तो वृद्धि हुई है किन्तु इसमें गुणात्मक रूप से कितनी वृद्धि हुई है यह आज भी गंभीर प्रश्न है जनजातीय विद्यार्थियों की कक्षाओ के नामांकन को निम्नलिखित तालिका के माध्यम से देखा जा सकता है।

| **तालिका संख्या–1 जनजाति वर्ग के विद्यालय छोड़ चुके विद्यार्थी** | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **कक्षा 1–5** | | | **कक्षा 1–8** | | | **कक्षा 1–10** | | |
| लड़के | लड़कियां | कुल | लड़के | लड़कियां | कुल | लड़के | लड़कियां | कुल |
| 36.1 | 34.4 | 35.3 | 57.3 | 57.1 | 57.2 | 64.4 | 67.6 | 65.9 |

Source: Census 2011, Office of the Registrar General, India

2011 की जनगणना के अनुसार देश की 48.9 करोड़ की महिला की आबादी में मात्र 65.46 सत महिलाएं ही साक्षर थी इसका अर्थ यह है कि भारत में आज भी 16 करोड़ महिलाएं निरक्षर है सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम बेसलाइन सर्वे 2014 की रिपोर्ट के अनुसार भारत के 6100000 बच्चे अभी प्राइमरी स्कूलों में भी नहीं जिसमें लड़कियों की स्थिति और भी खराब है 15 से 17 साल की लगभग 16ः लड़कियां स्कूल बीच में ही छोड़ देती हैं । लगभग 2200000 से भी ज्यादा लड़कियों की शादी कम उम्र में हो जाती है जिससे फूल और आगे की पढ़ाई भी छूट जाती है जहां शिक्षा बच्चों का मूल अधिकार है वहां 10 अशिक्षित बच्चों में से 7 लड़कियां हैं।

| **तालिका संख्या– 2 लड़कियों के नामांकन का प्रतिशत 2011–12** | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1–5** | | | **6–8** | | | **9–10** | | | **11–12** | | |
| एस. सी. | एस.टी. | कुल | एस. सी. | एस.टी. | कुल | एस. सी. | एस.टी. | कुल | एस. सी. | एस.टी. | कुल |
| 48.4 | 48.5 | 48.1 | 48.3 | 48.1 | 47.4 | 46.8 | 45.6 | 45.5 | 46.2 | 43.3 | 44.8 |

Source: Census 2011, Office of the Registrar General, India

उपर्युक्त सारणी के माध्यम से अनुसूचित जाती एवं अनुसूचित जनजाति की लड़कियों का नामांकन का बोध हो रहा है किन्तु नामांकन के साथ ही साथ विद्यालय छोड़ने वाली लड़कियों की संख्या भी लगभग

वैसी ही है अर्थात जितनी लड़कियों का नामंकन हो रहा है वे जल्दी ही विद्यालय छोड़ कर चली जाती है।

आदिवासी जनजाति शिक्षा – प्राचीन काल से ही भारतीय संस्कृति में आदिवासियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आदिवासी, जनजाति के लोग हमारी परंपरा और इतिहास की अभिन्न अंग है। ब्रिटिश शासन में जो फूट डालो और राज्य करो की नीति अपनाकर आदिवासियों को मुख्यधारा से अलग कर दिया गया तभी से मुख्यधारा और आदिवासी समाज के बीच एक खाई बन गई जो आज तक बनी ही हुई है। ये जनजातियां दूरस्थ, एकांत और प्रतिकूल वातावरण में रहने को बाध्य रहीं। यहां की भौतिक परिस्थितियां अत्यंत विकट थी। उन्हें बड़े संघर्ष और पिछड़ेपन में जीवन जीना पड़ा। आज वर्तमान समाज और उनके बीच गहरी खाई बन गई है जो खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। भारत की महान परंपरा के मूल तत्व इन्हीं जनजातियों के द्वारा जीवंत हैं । इन्हीं जनजातियों में हमारे पूर्वजों द्वारा धारित उच्च मूल्य जैसे विश्वास पात्रता, इमानदारी, सहिष्णुता, स्वास्थ्य, समानता तथा स्त्रियों के लिए सम्मान आदि आज भी विद्यमान है जिसने भारतवर्ष को संसार की एक महान सभ्यता का स्थान दिया। यही हमारे पूर्वजों ने अपने वंशजों को एक गौरवपूर्ण धरोहर के रूप में हस्तांतरित किया यह मूल्य आज भी अपने विशुद्ध रूप में इन आदिवासियों के जीवन में विद्यमान हैं ।आज संसार की बदलती परिस्थितियों में भौतिक साधनों का विकास होने के कारण यातायात, जनसंचार तथा उद्योगों की संख्या बढ़ती जा रही है जिसके कारण ही आदिवासी अपने आप को अलग, एकांत रखने में सफल नहीं हो पा रहे हैं। अब वे धीरे–धीरे मुख्य धारा से दूर नहीं रह गए हैं आदिवासियों के क्षेत्र में औपचारिक शिक्षा का प्रत्यय अभी नया है। अभी तक आदिवासियों के बीच ऐसी संस्थाएं रही है जिन्होंने अनौपचारिक रूप से शिक्षा प्रदान किया है। (सिंह, वी.एन. & जनमेजय. 2013, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग)

**आदिवासी महिलाएं**

भारत, विश्व की सबसे अधिक जनजातीय महिलाओं वाला देश है. वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार, भारत में जनजातीय जनसंख्या लगभग 6.77 करोड़ थी. इस जनंसख्या का लगभग आधा भाग अर्थात 3. 3 करोड़ जनजाति महिलाओं का है. जनजाति जनसंख्या में महिलाओं का प्रतिशत गैर–जनजाति जनंसख्या में महिलाओं के प्रतिशत से अधिक है. सरल शब्दों में कहें तो आदिवासी समाज में पुरुष–स्त्री का लिंग अनुपात अन्यों से काफी बेहतर है. जब हम इनके सुधार की बात करते हैं तो आदिवासी महिलाओं को कई जरूरी पहलुओं पर प्रशिक्षण की आवश्यकता है. महिलाओं को रोजगार के साधन उपलब्ध नहीं है और श्रम का मूल्य भी दिन–ब–दिन घट रहा है. मैट्रिक पास लड़कियां 1500–2000 रुपये तक कमाने के लिये बाहर जाने को तैयार रहती हैं. पढ़ी–लिखी लड़कियां बाजार–हाट में हंडिया पीती मिल जाएंगी जो यह दर्शाता है कि संस्कृति भी प्रदूषित हो रही है. देश की आबादी का आठ प्रतिशत आदिवासी है. भारत की

साक्षरता दर 52 प्रतिशत है जबकि आदिवासियों में यह 39.6 प्रतिशत है एवं आदिवासी महिलाओं में यह 18 प्रतिशत ही है. आदिवासी महिलाओं को शिक्षा देना आम महिलाओं की तरह जरूरी है मगर पलायन और अन्य वजहों से बहुत सारी महिलाएं शिक्षित नहीं हो पाती हैं. कम पढ़े–लिखे होने के बावजूद आदिवासियों में लड़कियों को लेकर ग्लानि करने की परंपरा नहीं है. आदिवासियों में भ्रूण हत्या का चलन नहीं के बराबर देखा गया है. एक रिपोर्ट में कहा गया है कि 20 फीसदी धनी घरों में भ्रूण हत्या बढ़ी है. जबकि समाज के सबसे निचले तबके के 20 फीसदी गरीब घरों में कन्या शिशुओं की संख्या बढ़ी है। (Source- Registrar General of India)

**महाराष्ट्र राज्य के अनुसूचित जनजातियों की शैक्षिक आख्या– तालिका संख्या–3**

| क्रम. संख्या | जनजातियों के नाम | पूर्व प्राथमिक | प्राथमिक | अपर प्राथमिक | माध्यमिक | उच्चतर माध्यमिक | स्नातक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | सभी | 41.7 | 25.7 | 15.6 | 13.4 | 2.1 | . |
| 2. | भील | 49.9 | 23.5 | 8.6 | 9.7 | 1.3 | . |
| 3. | गोंड | 40.3 | 26.2 | 16.9 | 13.0 | 1.4 | . |
| 4. | कोलिमाहेदो | 35.3 | 35.3 | 28.2 | 15.2 | 15.9 | 2.6 |
| 5. | वरली | 52.7 | 26.8 | 10.1 | 6.0 | 0.7 | . |
| 6. | कोकना | 38.9 | 13.1 | 26.1 | 16.3 | 2.5 | . |
| 7. | ठाकुर | 43.8 | 25.8 | 12.4 | 12.2 | 2.6 | . |

Source – Selected Educational Statistics MHRD 2010-11

उपर्युक्त तालिका से यह विदित होता है कि गोंड जनजाति की साक्षरता, गोंड जनजाति की साक्षरता (ऐसे लोग जो पढ़नें के साथ ही लिखना भी जानते हों) 25 प्रतिशत महाराष्ट्र में तथा 15 प्रतिशत से भी कम मध्य प्रदेश में हैं मध्य प्रदेश में गोंड महिलाओं की साक्षरता 4 प्रतिशत से भी कम है । कुछ ही छात्र हैं जो प्रतिदिन विद्यालय जाते हैं और छात्राएं कभी–कभी विद्यालय जाती हैं और धीरे–धीरे उनसे विद्यालय छूट जाता है।

भारत में लगभग 550 जनजातियां हैं. जब हम सशक्तिकरण की बात करते हैं तो इसमें विचारकों, शासन एवं वृहत्तर समाज की भागीदारी होती है. जिन महिलाओं में आज हम सशक्तिकरण देख रहे हैं वो अधिकतर शहरी, साक्षर, मध्यमवर्गीय हैं. परन्तु लगभग 80 प्रतिशत महिलाएं ग्रामीण क्षेत्रों में रहती हैं. इनमें से अधिकतर कृषि मजदूर या रेजा के रूप में कार्य करती हैं. इनके लिये जीवन एक क्रूर संघर्ष है क्यूंकि जीवित रहने के लिये कठिन परिस्थितियों का इन्हें सामना करना पड़ता है।

यदि नारी को पूर्ण चौतन्य बनाना है तो आवश्यक है कि नारी को शिक्षित किया जाए लेकिन वर्तमान समय में नारी शिक्षा मे भी विभिन्न समस्याएं प्रकट होती हैं यूनिसेफ द्वारा प्रकाशित पुस्तक *चिल्ड्रन एंड वुमन इन इंडिया* 1990 भारतीय स्त्री शिक्षा के मार्ग में निम्नलिखित बाधाओं का उल्लेख किया गया है

जिसमें स्त्री शिक्षा को विभिन्न सामाजिक–सांस्कृतिक आर्थिक तथा मनोवैज्ञानिक बाधाओं का सामना करना पड़ता है।

स्त्री शिक्षा के संबंध में सामाजिक परंपरागत पूर्वाग्रह बाधा उत्पन्न करते हैं एक आदर्श परंपरागत महिला वह स्त्री है जो निष्ठावान, स्वामी भक्त, डरपोक, संघर्षशील, अपने को दुख समझने वाली तथा त्यागमई है।(उपाध्याय, 2009) भारत में विवाह एक ऐसा अनुशासन है जो स्त्रियों की भूमिका को एक पत्नी, एक मां, एक गृहणी के रुप में परिभाषित करती है, उदाहरण के लिए स्त्रियां यदि खेतों में मजदूरी करती हैं तो उन्हें बहुत कम तनख्वाह मिलता है कुपोषण तथा बार बार गर्भवती होने से उनका जीवन लूटा हुआ हो जाता है जो भी हो उसे बच्चा पैदा करने की भूमिका निभानी ही पड़ती है। धर्म और संस्कृ ति की गलत व्याख्याएं स्त्री के स्तर तथा भूमिका को और भी निम्न बना देती हैं फलस्वरूप बहुत सी महिलाओं का अपने विषय में बड़ा निम्न विचार उत्पन्न हो जाता है और शिक्षा के संबंध में उनकी अंतर प्रेरणा समाप्त हो जाती है। वर्तमान शैक्षिक व्यवस्था सामाजिक वर्गीकरण ही पैदा नहीं करती बल्कि लिंगभेद को भी बढ़ावा देती है।

हम स्त्री को चैतन्य बनाने के लिए स्त्री चेतना से जुड़ी हुई स्त्री शिक्षा से संबंधित यूनिसेफ द्वारा उल्लेखित स्त्री शिक्षा की समस्याओं कि कुछ विस्तार से चर्चा कर सकते हैं–

सामाजिक समस्या–सामाजिक कुरीतियां तथा अंधविश्वास जैसे पर्दा प्रथा, बाल विवाह, लड़के लड़की में अंतर, दहेज प्रथा आदि ऐसे सामाजिक कारण है जिनकी वजह से लड़कियों की शिक्षा पर धन व्यय करना अभिभावक व्यर्थ समझते हैं। सामाजिक बाधाओं को दूर करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास की आवश्यकता है सामाजिक कुरीतियों को दूर करने की दृष्टि से विधेयक लागू किए जाने चाहिए बाल विवाह दहेज प्रथा आदि को दूर करने की दृष्टि से जो अधिनियम बने हुए हैं उन्हें सख्ती से लागू करना आवश्यक है।

**सांस्कृतिक समस्या**

भारतीय संस्कृति की गरिमा पूर्ण नारी की उपेक्षा करते हुए, पुरुष प्रधान समाज संस्कृति की गलत व्याख्या करता है और स्त्री को केवल बेटी अर्थात पराया धन, बहू अर्थात लज्जाशील, मां अथवा गृहणी, अथवा मानसिक विपदा को समझने वाली निरीह प्राणी ही समझता है। समाज अपने संकुचित विचारधारा के कारण स्त्री शिक्षा के प्रति उदासीन है। स्त्री शिक्षा के विकास की गति अभी धीमी है। नारी चेतना जागृत करने की दृष्टि से संस्कृत के नाम पर संकुचित मनोवृत्तियों अंधविश्वासों तथा गलत परंपराओं के प्रति जनमानस का दृष्टिकोण बदलना होगा। इसके लिए व्यापक स्तर पर जन कार्यक्रम चलाने की आवश्यकता है नारी चेतना जाग्रत करने की दृष्टि से जनसंचार माध्यम, समाचार पत्र–पत्रिकाओं का प्रयोग किया जा सकता है जिससे कि नारी स्वयं से परिचित होकर समाज में स्वयं के साथ हो रहे अत्याचार के खिलाफ आवाज उठा सके।

*Copyright © 2020, Scholarly Research Journal for Humanity Science & English Language*

**मनोवैज्ञानिक समस्या**

भारतीय महिलाओं का अपने प्रति दृष्टिकोण या आत्मस्वरूप बहुत ही संकुचित हो गया है जिसके कारण वह स्वयं पुरुष की प्रधानता चाहती हैं। भारतीय समाज में स्त्री समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग है जो स्वयं ही उच्च शिक्षा प्राप्त करने में संकोच का अनुभव करता है। स्त्रियां ही स्त्री शिक्षा के पक्ष में नहीं है। नारी चेतना के लिए महिला संगठनों को आगे आना चाहिए और इस पूर्वाग्रह को दूर करने के लिए समाज की प्रौढ़ महिलाओं को शिक्षित किया जाना चाहिए जिससे वह अपने आगे की पीढ़ी की महिलाओं को शिक्षित होने से वंचित ना रखें।

**आर्थिक समस्या**

स्त्री शिक्षा के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा आर्थिक समस्या है धनाभाव के कारण स्त्री शिक्षा के विकास के लिए जितनी धनराशि की आवश्यकता है उतनी धन की व्यवस्था करने में हमारी सरकार असमर्थ है। इस समस्या के समाधान के लिए केंद्रीय व राज्य सरकार को बालिकाओं के लिए अच्छे स्कूल व कॉलेज स्थापित करने के लिए आर्थिक सहायता तथा यथेष्ट अनुदान का प्रबंध करना चाहिए। इस संबंध में सरकार को ऐच्छिक तथा व्यक्तिगत प्रयासों की सहायता भी लेनी चाहिए तथा उन्हें यथासंभव प्रोत्साहन भी देना चाहिए।

**अपव्यय और अवरोधन की समस्या**

**तालिका संख्या–4**

| **वर्ष,कक्षाएं** | **कक्षा 1 से 5** | | | **कक्षा1 से 8** | | | **कक्षा 1 से 10** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | छात्र | छात्राएं | कुल | छात्र | छात्राएं | कुल | छात्र | छात्राएं | कुल |
| 2011.12 | 36.1 | 34.4 | 35.3 | 57.3 | 57.1 | 57.2 | 64.4 | 67.6 | 65.9 |
| 2012.13 | 33.3 | 31.2 | 32.3 | 50.6 | 47.5 | 49.2 | 63.2 | 62.2 | 62.7 |
| 2013.14 | 31.9 | 30.7 | 31.3 | 49.8 | 46.4 | 48.2 | 63.2 | 63.3 | 62.4 |

Sources: Educational Statistics at a glance, Department of school of Education, MHRD

सामाजिक, सांस्कृतिक, मनोवैज्ञानिक व आर्थिक तत्व ही स्त्री शिक्षा में अपव्यय और अवरोधन के कारण है निर्धनता, निरक्षरता, अनपढ़ अभिभावक, दूषित परंपराएं, लड़कियों के प्रति संकुचित दृष्टिकोण, नीरस शैक्षिक वातावरण, दोषपूर्ण पाठ्यक्रम व परीक्षा प्रणाली, अच्छी महिला शिक्षिका की कमी स्त्री शिक्षा में अपव्यय और अवरोधन की समस्या के लिए उत्तरदायी हैं।

प्रशासनिक समस्याएं

वर्तमान समय में पुरुषप्रधान प्रशासन स्त्री शिक्षा के प्रति उदासीन रहता है दूसरे वह स्त्रियों की भौतिक व मानसिक आवश्यकताओं को समझ भी नहीं पाता। स्त्री शिक्षा के प्रशासन में सुधार की आवश्यकता है,

*Copyright © 2020, Scholarly Research Journal for Humanity Science & English Language*

स्त्री शिक्षा का प्रशासन महिलाओं को ही सौंपा जाए तो यह अधिक न्याय संगत होगा महिलाएं ही महिलाओं की आवश्यकताओं को ज्यादा अच्छी तरह समझ सकते हैं क्योंकि उनकी रुचि स्त्री शिक्षा में होगी जिससे स्त्री शिक्षा के प्रचार–प्रसार का कार्य वह अधिक मनोयोग से करेंगी।

स्त्री शिक्षा की समस्याओं का समाधान करने के लिए स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत से ही भारत सरकार द्वारा विभिन्न कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं।

महिला समाख्या – यह कार्यक्रम 1989 में प्रारंभ हुआ जो महिला को अधिकार संपन्न बनाने की दिशा में सफल रहा है यह 8 राज्यों की 53 जिलों के 8000 से भी अधिक गांव में क्रियान्वित है यह राज्य हैं– आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश। महिलाओं का स्व–सम्मान और स्व–विश्वास को बढ़ाना।

- महिलाओं के समाज, राज शासन और अर्थव्यवस्था को योगदान की पहचान करके उनकी सकारात्मक धारणा बनाना।
- गंभीर रूप से सोचने की क्षमता विकसित करना।
- निर्णय लेने को तेज करना और सामूहिक प्रक्रियाओं के माध्यम से कार्रवाइ।
- क्षेत्रों जैसे शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य (विशेष रूप से पुनरूत्पादक स्वास्थ्य) में सुविचारित चयन करने के लिए महिलाओं को समर्थ बनाना।
- विकासात्मक प्रोसेसों में समान सहभागिता सुनिश्चित करना।
- आर्थिक स्वतंत्रता के लिए सूचना, ज्ञान और कौशल प्रदान करना।
- सभी क्षेत्रों में बराबरी का दर्जा। (मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार)

**सर्वशिक्षा अभियान–** इस कार्यक्रम का उद्देश्य सभी माननीय आर्थिक तथा संस्थागत संसाधनों को जुटा कर प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करना है इस कार्य के लिए केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय समिति बनाई गई है जिसके सदस्य राज्यों के शिक्षा मंत्री हैं। शिक्षाविद प्रो. एस श्रीनिवास ने कहा कि एक अनुमान के मुताबिक, सरकारी स्कूलों में 11 करोड़ बच्चे जाते हैं जबकि निजी स्कूलों में 7 करोड़ बच्चे पढने जाते हैं । जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम का उद्देश्य बालिकाओं की शिक्षा को विशेष रुप से प्रोत्साहित करना है तथा लैंगिक विषमता तथा सामाजिक विषमता को कम करना है।

**भारत में महिलाओं के लिए सरकार की योजनाएं**

**बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना**

यह एक सामाजिक अभियान है जिसका लक्ष्य महिला भेदभाव के उन्मूलन और युवा भारतीय लड़कियों के लिए सरकारी सेवाओं पर जागरूकता बढ़ाना है इसे 22 जनवरी 2015 को शुरू किया गया था महिला

*Copyright © 2020, Scholarly Research Journal for Humanity Science & English Language*

और बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय का संयुक्त उपक्रम है।

**वन स्टॉप सेंटर स्कीम**

इस योजना की शुरुआत 1 अप्रैल 2015 को निर्भया फंड के साथ लागू की गई थी यह योजना उन महिलाओं को शरण देती है जो शारीरिक प्रकार की हिंसा की शिकार हो चुकी होती है इसके तहत डिस्क कानूनी और परामर्श सेवाएं देने का काम किया जाता है योजना का हेल्पलाइन नंबर 181 है।

**वर्किंग वूमेन हॉस्टल**

इस योजना को कामकाजी और नौकरीपेशा महिलाओं के लिए छात्रावास की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू किया गया जहां पर की जरूरत के सामान छात्रावास के आसपास ही उपलब्ध हो।
महिलाओं के लिए प्रशिक्षण और रोजगार कार्यक्रम का उद्देश्य कौशल का विकास करना है जिसके माध्यम से महिलाओं के लिए रोजगार के द्वार खुल सकें यह योजना महिलाओं को उद्यमी बनने में सक्षम बनाती है कृषि बागवानी, खाद्य प्रसंस्करण, हथकरघा, सिलाई, कढ़ाई, हस्तशिल्प, और आईटी कार्यस्थल के लिए कौशल सिखाया जाता है।

**नारी शक्ति पुरस्कार**

नारी शक्ति पुरस्कार राष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार है स्थापना 1999 में की गई केंद्र सरकार ने भारत में महिला सशक्तिकरण के लिए और संस्थानों द्वारा किए सेवा कार्य को मान्यता प्रदान करने हेतु नारी पुष्कर की स्थापना की यह पुरस्कार महिला और संस्थाओं द्वारा विशेष रूप से कमजोर और पीड़ित महिलाओं के जो अच्छा काम करते हैं या ऐसी महिलाएं अपने हालात से बाहर आकर अलग करती हैं उन्हें नकद पुरस्कार और प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है।

**स्वाधार गृह**

कठिन परिस्थितियों में महिलाओं की पुनर्वास के लिए भारत सरकार द्वारा 2002 में महिला और बाल विकास मंत्रालय ने स्वाधार योजना की स्थापना की यह महिलाओं और लड़कियों की जरूरत के अनुसार भोजन कपड़े तथा अन्य सामानों की व्यवस्था करती है।

**महिला शक्ति केंद्र योजना**

यह योजना महिलाओं के संरक्षण और सशक्तिकरण के लिए उमरेला मिशन स्कीम मिशन के तहत महिला एवं बाल विकास द्वारा संचालित की गई थी। इस योजना के तहत महिलाओं को सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से सशक्त बनाने और क्षमता का अनुभव कराने का काम किया जाता है।

**महिला ई हाट**

इस योजना का मुख्य उद्देश्य घर पर रहने वाली महिलाओं को उनके हुनर के माध्यम से आय के स्रोत बनना है।

*Copyright © 2020, Scholarly Research Journal for Humanity Science & English Language*

**उज्जवला योजना-** उज्ज्वला-योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली 2 करोड़ से अधिक महिलाओं को गैस सिलेंडर वितरित किए गए सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत अगले 3 सालों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले 5 करोड़ से अधिक महिलाओं को नए एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए 8करोड़ रूपये की मंजूरी दी है।

**एक-लड़की के लिए सीबीएसइ मेरिट स्कॉलरशिप**

सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकंडरी एजुकेशन ने एक लड़की के लिए एक छात्रवृत्ति योजना शुरू की है। इस योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य भारत में लड़कियों की शिक्षा को बढ़ाने के लिए, लड़कियों की स्थिति विकसित करना, स्कूल ट्यूशन फीस में कुछ छूट देने के लिए, एकल लड़की को बढ़ावा देना है। यह छात्रवृत्ति योजना केवल सरकारी स्कूलों की लड़कियों के लिए शुरू की गई है।

आदिवासी समाज की लड़कियों जो अध्ययन कर रही हैं, हेतु छात्रावास

तीसरी योजना से आरंभ की गई लड़कियों हेतु छात्रावास योजना, उन अनुसूचित जनजाति की लड़कियों के बीच शिक्षा के प्रचार हेतु बहुत उपयोगी है जिनकी साक्षरता दर 2011 जनगणना आँकड़ों के अनुसार सामान्य महिलाओं की 54.28ः साक्षर दर की तुलना में 34.76 है। योजना के तहत,राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को केंद्र द्वारा नए छात्रावास का निर्माण करने तथा मौजूदा छात्रावास का विस्तार करने हेतु केन्द्रीय सहायता दी जाती है, इस योजना में छात्रावास के निर्माण की लागत को 50रू50 अनुपात में समान रूप से केन्द्र तथा राज्यों के बीच साझा किया जाता है। किंतु संघ राज्य क्षेत्र मामले में, केन्द्र सरकार निर्माण की पूरी लागत वहन कराती है। छात्रावास के निर्माण की लागत राज्य पीडब्ल्यूडी की दरों या स्थानीय सीपीडब्ल्यूडी की दरों, इनमें से जो भी कम हो,पर आधारित होती है। तथा छात्रावास के रखरखाव संबंधित जिम्मेदारी राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों की होती है। छात्रावास में सीटों की संख्या 100 तक है । छात्रावास अनुसूचित जनजाति की लड़कियों के लिए प्राथमिक, मध्य, माध्यमिक, महाविद्यालय तथा विश्वविद्यालय तक की शिक्षा हेतु उपलब्ध हैं। (जनजाति कल्याण मंत्रालय भारत सरकार)

उपरोक्त कार्यक्रमों के अतिरिक्त ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, नवोदय विद्यालय, व्यावसायिक शिक्षा आदि योजनाओं में भी स्त्री शिक्षा पर विशेष ध्यान केंद्रित है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग भी ऐसी संस्थाओं को आर्थिक अनुदान देता है।

गरीबी रेखा के नीचे की महिलाओं के लिए प्रशिक्षण रोजगार सहायता कार्यक्रम वर्ष 1987 में प्रारंभ किया गया जिसका उद्देश्य उन महिलाओं के कौशल और रोजगार के अवसरों की वृद्धि करना है जो पहले से ही परंपरागत क्षेत्र में कार्यरत हैं, जैसे– कृषि पशुपालन, डेरी, मछली पालन, हैंडलूम, हस्तशिल्प, कुटीर व ग्राम उद्योग तथा रेशम उद्योग आदि।

*Copyright © 2020, Scholarly Research Journal for Humanity Science & English Language*

यह खेद का विषय है कि अब तक किए गए प्रयासों के बावजूद भारत में महिलाओं की स्थिति व प्रस्थिति संतोषजनक नहीं है कन्या भ्रूण हत्या, दहेज उत्पीड़न, महिला निरक्षरता, महिला शिक्षा के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण, यौन उत्पीड़न, परिवार में महिलाओं की उपेक्षा, रोजगार के अवसरों की कमी, सामाजिक राजनीतिक क्रियाकलापों में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी की कमी आदि के कारण महिलाओं की स्थिति अभी भी दुर्भाग्यपूर्ण ढंग से अस्त व्यस्त है। त्वरित वेग से हो रहे सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन के परिप्रेक्ष्य में नारी चेतना की जागृति की ओर ध्यान देने की वर्तमान समय में विशेष आवश्यकता है।

आधुनिक वैश्विक समाज में पुरुष तथा महिला को प्रत्येक दृष्टि से समान प्रस्थिति प्रदान की जाती है इस दृष्टि से महिलाओं को समान रूप से जागृत करने के लिए यह आवश्यक है कि महिलाओं का सशक्तिकरण किया जाए जिससे वे अपने अधिकारों और कर्तव्यों को जान सके एवं उन्हें प्राप्त करने अथवा उनका निर्वहन करने के योग्य बन सके । सदियों से चली आ रही पुरुषवादी मानसिकता को बदले बिना महिलाओं की स्थिति में सुधार करना महज एक कोरी कल्पना मात्र बनकर रह जाएगी।

नारी चेतना के लक्ष्य को प्राप्त करने में शिक्षा सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकती है जिसके माध्यम से महिला साक्षरता में वृद्धि ,लड़कियों की प्रारंभिक शिक्षा का सार्वजनीकरण, लड़कियों के शाला त्याग पर रोक, कन्या शिक्षा को विशेष प्रोत्साहन तथा रोजगार हेतु प्रशिक्षण आदि उपायों से महिला सशक्तिकरण के कार्य को एक नई गति व दिशा मिल सकती है जिससे निश्चित तौर पर नारी चेतना में उत्तरोत्तर वृद्धि की जा सकती है।

नारी चेतना के लिए यह आवश्यक है कि महिलाओं का सशक्तिकरण किया जाए और महिला सशक्तिकरण शिक्षा के बिना संभव नहीं है, किंतु केवल कुछ गिने चुने परिवारों की महिलाओं तक अथवा समाज के तथाकथित संभ्रांत वर्ग तक सीमित नहीं रखा जाना चाहिए। वरन समाज के निचले व मध्यम तबकों की महिलाओं को भी शिक्षा और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराकर उन्हें भी सशक्त बनाना होगा। किंतु ध्यान रहे महिला सशक्तिकरण का तात्पर्य महिलाओं को आडंबरपूर्ण आधुनिकता के ढांचे में ढालकर किसी पार्टियों में भाग लेने, सौंदर्य प्रतियोगिताओं में जाने, बन–संवर कर चहल–कदमी करने मात्र तक सीमित नहीं है। वरन महिला सशक्तिकरण महिलाओं के नैसर्गिक गुणों, मेधा व सामर्थ्य को पोषित करने एवं न केवल उनके व्यक्तित्व विकास में बल्कि संपूर्ण परिवार, समाज वह राष्ट्र के विकास में उनका अधिकतम संभव योगदान सुनिश्चित कराने का माध्यम है। इसलिए आज हमारे समाज का यह विशेष कर्तव्य बनता है कि वह महिला सशक्तिकरण के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाकर महिलाओं को शिक्षित कर नारी चेतना में अपना सहयोग प्रदान करें जिससे कि ना केवल पारिवारिक अपितु सामाजिक और राष्ट्रीय विकास को भी गति मिल सके।

*Copyright © 2020, Scholarly Research Journal for Humanity Science & English Language*

## सन्दर्भ सूची

भारद्वाज,एन .(2008), महिला सशक्तिकरण, जयपुर : सागर पब्लिशर्स,
गुप्ता,एस.पी.(2015), भारतीय शिक्षा का इतिहास विकास एवं समस्याएं, इलाहबाद : शारदा पुस्तक भवन ,
''जेंडर और शिक्षा रीडर'' भाग–1 (2011)
''जेंडर और शिक्षा रीडर'' भाग–2 (2011)
मिश्र, एस.(2012), भारत में शिक्षा व्यवस्था, मेरठ : आर.लाल बुक डिपो,
सिंह, वी.एन. & जनमेजय.(2013), नारीवाद, जयपुर : रावत पब्लिकेशन
तिवारी, आर.पी.& डी.पी.शुक्ल.(2008) भारतीय नारी, वर्तमान समस्याएं और भावी समाधान, नई दिल्ली : ए. पी. एच.पब्लिशिंग कारपोरेशन,
उपाध्याय, पी.(2009) भारतीय शिक्षा में उदीयमान प्रवृत्तियां, इलाहाबद : शारदा पुस्तक भवन
अग्रवाल जे सी (1 श्रंदनंतल 2009). भारत में नारी शिक्षा. प्रभात प्रकाशन. 978–81–85828–77–0
Educational Statistics at a glance, Department of school of Education,MHRD
जनजाति कल्याण मंत्रालय भारत सरकार की आख्या
मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार की आख्या
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की आख्या
http://hi.m.wikipedia.org ब्राह्मण
http://hi.m.wikipedia.org> लोपामुद्रा
http://hi.m.wikipedia.org> अपाला
http://hi.m.wikipedia.org> गार्गी
http://hi.m.wikipedia.org> विश्ववारा
http://hi.m.wikipedia.org> घोषा
http://hi.m.wikipedia.org सूर्यासावित्र
http://hi.m.wikipedia.org शचीपौलोमी
https://www.governmentschemesindia.in/girls-government-schemes-india/
https://hindi.goodreturns.in/personal-finance/2018/02/10-indian-government-schemes-women-empowerment-003904.html
https://aajtak.intoday.in/gallery/modi-govt-will-be-remembered-for-these-10-schemes-1-10479.html
https://hindi.mapsofindia.com/my-india/government/schemes-launched-by-modi-government-in-2018
Registrar General of India
file:///F:/National%20policies%20of%20Education/Report%20of%20enrollment%20in%20schools.pdf
https://yourstory.com/hindi/d73ff2befb-how-will-india-create

Copyright © 2020, Scholarly Research Journal for Humanity Science & English Language